संख्या-5/2022/12/78-2-2022-158आई.टी./2017 टीसी IV

प्रेषक,

कुमार विनीत,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 20जनवरी , 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट एवं अनुरक्षण कराये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि रू0- 1.98 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को के पत्र संख्या-डी/21-22/3405 दिनांक 01-01-2022 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी वेबसाट का भारत सरकार में सर्ट-इन के अन्तर्गत इम्पैनल्ड संस्था से प्रत्येक वर्ष सिक्योरिटी ऑडिट एवं अनुरक्षण कराये जाने हेतु होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1,98000/- (रूपये एक लाख अन्ठानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन निदेशक, उद्योग के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

1. उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक,यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त के आहरण तथा विवरण का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक,उत्तर प्रदेश, कानपुर के यहॉ भी रखेंगे।
2. उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/दस-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
3. उक्त धनराशि के व्यय वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा, यदि स्वीकृत धनराशि में कोई बचत होती है तो उसे शासन को अवगत कराते हुए कोषागार में जमा किया जायेगा।
4. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार कर महालेखाकार, प्रयागराज उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-2 को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-3-2021 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
7. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बजट मैनुअल के समस्त प्राविधानों/ नियमों/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 आय-व्ययक के अनुदान संख्या-007 के लेखा-शीर्षक "2852"-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-29-वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट एवं अनुरक्षण-16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओ के लिए भुगतान" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9. यह आदेश वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020 दिनांक 22-3-2020 द्वारा प्राविधानित अधिकारो के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय
कुमार विनीत
विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकर (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
8. अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवं इले0 वि0 उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
बराती लाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।